

प्रेस नोट दिनांक-11.09.2022

थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा बाइक चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार व चोरी की गयी बाइक बरामद:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय के आदेश के अनुरूप मे पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन एव क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम महोदय के निकट पर्यवेक्षण मे अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये अभियान के अन्तर्गत कल दिनांक 10.09.22 को थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 284/22 धारा 379 भादवि की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त अहसान पुत्र इनाम निवासी संगम विहार थाना मण्डी जिला सहारनपुर को समय करीब 17.10 बजे गंगोह रोड डिवाइडर के पास, निकट बडी नहर मानकमऊ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अहसान उपरोक्त के कब्जे से दिनांक 27.07.22 की दोपहर को लेकर कालोनी में स्थित मुकदमा वादी विपिन शर्मा के घर के बाहर से चोरी की गयी मोटर साइकिल, बरामद की गयी। अभियुक्त अहसान उपरोक्त को मु0अ0स0 284/22 धारा 379/411 भादवि में चालान कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नाम/पता गिरफ्तार अभियुक्त –

अहसान पुत्र इनाम निवासी संगम विहार थाना मण्डी जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:

चोरी की गयी एक अदद मोटर साइकिल स्पलेन्डर प्लस रजि0 नं0 UP11AB-6031

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 284/22 धारा 379/411 भादवि

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह
2. उ0नि0 राजकुमार गौतम
3. उ0नि0 ओमकार सिंह
4. हे0का0 384 संजीव कुमार
5. का0 1237 अमरपाल तोमर

प्रेस नोट दिनांक-11.09.2022

थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय के आदेश के अनकूम मे पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम महोदय के निकट पर्यवेक्षण मे अपराधियो व लम्बित एनबीडब्लू / वारन्टियो के विरुद्ध चलाये गये अभियान के अन्तर्गत थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 11.09.2022 को वारन्टी नरेन्द्र उर्फ बिल्लू पुत्र रतन सिंह निवासी ककराला थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं० 7237/2018 धारा 60(2) आबकारी अधि० चालानी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर सम्बन्धित माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर को उसके मसकन से समय करीब 06.40 बजे गिरफ्तार किया गया । वारन्टी नरेन्द्र उर्फ बिल्लू उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

नाम/पता गिरफ्तार वारन्टी-

नरेन्द्र उर्फ बिल्लू पुत्र रतन सिंह निवासी ककराला थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ०नि० मौ० जहाँगीर
2. का० 81 यतेन्द्र कुमार
3. का० 2473 विनोद कुमार

प्रेस नोट दिनांक-11.09.2022

थाना तीतरो पुलिस द्वारा आज दिनांक 11.09.2022 को मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब सहित अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।

सादर अवगत कराना है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा अवैध शराब , वाछित अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह व प्रभारी निरीक्षक तीतरो के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.09.2022 को उ0नि0 नरेश सिंह मय हमराह का. 540 कमल कुमार शर्मा, का. 2535 यशपाल सिंह द्वारा मुखबिर की सूचना पर पप्पू पुत्र कुरडी नि. ग्राम – हैदरपुर, थाना – तीतरो, जनपद – सहारनपुर को एक जरीकैन में करीब 10 लीटर कच्ची शराब खाम व शराब बनाने के उपकरण एक छोटा लोहे का ड्राम, एक सिल्वर का पतीला, एक स्टील की तस्तरी, एक पाइप करीब 2 फुट, एक छोटा कनस्तर लोहा, एक 5 लीटर की खाली जरीकैन सहित गिरफ्तार किया गया । थाना हाजा पर मु0अ0स0 87/2022 धारा 60(2) EX. ACT. पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1- पप्पू पुत्र कुरडी नि. ग्राम – हैदरपुर, थाना – तीतरो, जनपद – सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

- 1.मु0अ0सं0 117/2008 धारा – 60/62 ex act
- 2.मु0अ0सं0 114/2017 धारा – 60(2) ex act
3. मु0अ0स0 87/2022 धारा 60(2) ex act

बरामदगी का विवरण

10 लीटर कच्ची शराब खाम व शराब बनाने के उपकरण एक छोटा लोहे का ड्राम, एक सिल्वर का पतीला, एक स्टील की तस्तरी, एक पाइप करीब 2 फुट, एक छोटा कनस्तर लोहा, एक 5 लीटर की खाली जरीकैन।

प्रेस नोट दिनांक-11.09.2022

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा वाहटसएप ग्रुप पर बच्चा चोर की झूठी वीडियो वायरल करने वाला एक व्यक्ति गिरफ्तार:-

अवगत कराना है कि दिनांक 09.09.2022 को वाहटसएप ग्रुप पर एक वीडियो वायरल किया गया है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा वाहटसएप ग्रुप पर बच्चा चोरी की वीडियो वायरल की गयी तथा अलग-अलग बच्चा चोरी की घटनाएँ दर्शाते हुए बच्चा चोरी करने वाले को पकड़कर मारपीट करते दिखाकर वीडियो वायरल की गयी जिससे जनमानस में डर व भय व असुरक्षा का माहौल उत्पन्न हुआ है। इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 510/22 धारा 505(1) बी भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया विवेचना के मध्य वाहटसएप ग्रुप पर वीडियो वायरल करने वाले व्यक्ति की पहचान अय्यूब पुत्र अकबर निवासी महमूद मजरा रायपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर उम्र 20 वर्ष के रूप में हुई है। बच्चा चोरी की इस तरह की भ्रामक वीडियो वायरल किये जाने से जनता के लोगो द्वारा जनपद में जगह-जगह अफवाह फैलाकर निर्दोष लोगो के साथ मारपीट आदि की गंभीर घटनाएँ की जा रही है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का सज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी करने हेतु थाना सदर बाजार पुलिस को निर्देशित किया गया।

जिसके क्रम में आज दिनांक 11.09.2022 को पुलिस अधीक्षक नगर, सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में सदर बाजार पुलिस के अथक प्रयासो द्वारा उपरोक्त घटना में नामजद अभियुक्त अय्यूब पुत्र अकबर निवासी महमूद मजरा रायपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर को देहरादून बस अड्डा समय प्रातः 08.10 गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त में आवश्यक विधिक कार्यावाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

अय्यूब पुत्र अकबर निवासी महमूद मजरा रायपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण-

1. अय्यूब पुत्र अकबर निवासी महमूद मजरा रायपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
1. मु0अ0सं0 510/22 धारा 505(1) बी भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम

1-निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह

2-कां0 2407 वासूदेव

3- कां0 1586 ललित

बरामदगी का विवरण

एक अदद मोबाईल वीवो कम्पनी रंग हरा

प्रेस नोट दिनांक 11-09-2022

थाना गागलहेड़ी पुलिस द्वारा हत्या का आरोपी मय एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार एवं निषादेही पर आलाकत्ल पत्थर, मृतक की मोटर साइकिल व एक अदद बैग बरामद।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, सहारनपुर महोदय के निर्देशन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में थाना हाजा पर दिनांक 10.09.2022 को पंजीकृत मु0अ0सं0 328/2022 धारा 302,201 भादवि में नामजद वांछित अभियुक्त सचिन पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम जटपुरा, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर को श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय के नेतृत्व में व0उ0नि0 श्री अनिल तेवतिया, उ0नि0 श्री नवीन कुमार सैनी व कान्स0 1128 अजय राठी, कान्स0 1259 विनीत तोमर द्वारा मय एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के गिरफ्तार किया गया। पूछताछ कर अभियुक्त की निषादेही पर आलाकत्ल पत्थर एवं मृतक सोवित पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम जटपुरा, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर की मोटरसाइकिल व एक अदद बैग बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 329/2022 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम सचिन उपरोक्त पंजीकृत होकर आवश्यक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

1-सचिन पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम जटपुरा, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर

घटनाक्रम :-

दिनांक 02.09.2022 की रात्रि करीब 10.00 बजे अभियुक्त सचिन व मृतक सोवित द्वारा मिलकर शराब पी गई थी तथा इसी दौरान मृतक सोवित द्वारा उसकी भाभी से अवैध सम्बन्ध होने की बात बताई और अपने फोन को हैण्डफ्री करके उससे अश्लील बातें कर अभियुक्त को सुनाई, जिससे अभियुक्त सचिन बहुत बुरा लगा और उसने शोबित को मारने का इरादा कर लिया। इस बाद अभियुक्त सचिन ने मृतक सोवित को अत्यधिक शराब पिला दी तथा सोवित की मोटर साइकिल से देहरादून अम्बाला हाईवे पर कोलकी कट से पहले हाईवे के किनारे नषे में पड़े सोवित के सर पर पास पड़े ईट के बड़े टुकड़े से सर पर वार करके हत्या कर दी और शव को छिपाने की नियत से ढलान से धक्का देकर हाईवे के नीचे बनी गोल पुलिया पर छिपा दिया और उसकी मोटर साइकिल व बैग भी ग्राम हरियाबांस के जंगल में ईख के खेत में छिपा दिया, जो इसकी निषादेही पर पुलिस द्वारा बरामद की गई है।

बरामदगी :-

एक अदद तमंचा मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

एक आलाकत्ल पत्थर

मृतक की मोटर साइकिल हीरो स्पलैण्डर प्लस नम्बर यूपी11बीएन9773

अपराधिक इतिहास :-

(1) मु0अ0सं0 328/2022 धारा 302,201 भादवि, थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर

(2) मु0अ0सं0 329/2022 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम, थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1- प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नेगी, थाना गागलहेड़ी, जनपद सहारनपुर

2- व0उ0नि0 अनिल तेवतिया, थाना गागलहेड़ी, जनपद सहारनपुर

3- उ0नि0 श्री नवीन कुमार सैनी, थाना गागलहेड़ी, जनपद सहारनपुर

4- कान्स0 1128 अजय राठी, थाना गागलहेड़ी, जनपद सहारनपुर

5- कान्स0 1259 विनीत तोमर, थाना गागलहेड़ी, जनपद सहारनपुर

प्रेस नोट थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर दिनांक

11.09.22

आज दिनांक 11.09.22 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय व श्रीमान सहायक पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण में व प्र०नि० मनोज कुमार चाहल के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे वाछित अभि०गणो की गिरफ्तारी के अभियान के दौरान निरी० जितेन्द्र सिंह यादव मय फोर्स के द्वारा अभि० महताब पुत्र काला उर्फ इखलाक नि० घाना खण्डी थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर सम्बन्धित मु०अ०स० 384/22 धारा 376/506 भादवि व 67 ए आईटी एक्ट को अभि० के घर से समय 09.30 पुलिस हिरासत में लिया गया। अभि० को मा० न्यायालय के समक्ष पेश कर अभिरक्षा में जिला कारागार में भेजा जा रहा है।



अभियुक्त:-

महताब पुत्र काला उर्फ इखलाक नि० घाना खण्डी थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर
आपराधिक इतिहास

मु०अ०स० 384/22 धारा 376/506 भादवि व 67 ए आईटी एक्ट थाना को०देहात स०पुर
बरामदगी-

निल

गिर० करने वाली टीम:-

1. प्र०नि० मनोज कुमार चाहल थाना को० देहात स०पुर
1. निरी० जितेन्द्र सिंह यादव थाना को० देहात स०पुर
2. का० 199 रोहित कुमार थाना को० देहात स०पुर

प्रेस नोट

थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को 10 बोतल चण्डीगढ मार्का 555 अग्रेजी शराब के साथ किया गिरफ्तार-----

दिनांक 10/11-9-22 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर द्वारा अवैध शराब की रोकथाम हेतु चलाये गये अभियान के दौरान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय क्षेत्राधिकारी नकुड महोदय के निर्देशन में थाना प्रभारी विशाल श्रीवास्तव द्वारा गठित टीम उपनिरी विकास चारण, का 984 आशीष कुमार का 1480 विपिन मलिक द्वारा चैकिंग के दौरान सलेमपुर रोड कब्रिस्तान के पास रामपुर मनिहारन से आजम पुत्र महबूब निवासी मौ महल कस्बा व थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर को 10 बोतल चण्डीगढ मार्का हरियाणा के साथ गिरफ्तार किया जिसके सम्बन्ध में मुअस 324/22 धारा 60/63 आबकारी अधि पंजीकृत अभियुक्त को जेल भेजा गया।

नाम पता अभियुक्त----

आजम पुत्र महबूब निवासी मौ महल कस्बा व थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रनिरी विशाल श्रीवास्तव थाना प्रभारी रामपुर मनिहारन सहारनपुर
2. उपनिरी विकास चारण थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
3. का 1480 विपिन मलिक थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
4. का 984 आशीष कुमार थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर

बरामदगी-

1. 10 बोतल शराब चण्डीगढ मार्का 555 अग्रेजी

आपराधिक इतिहास-

1. आजम पुत्र महबूब निवासी मौ महल कस्बा व थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर मुअस 324/22 धारा 60/63 आबकारी अधि थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर